बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना–800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति

पटना – 22 अप्रैल, 2024

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में बिहार राज्य निर्वाचन विभाग निष्पक्ष, स्वच्छ एवं स्वस्थ चुनाव कराने के लिए कृतसंकल्प है। एक ओर जिलों में मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण तथा समस्त गतिविधियों के संचालन का प्रशिक्षण जोर–शोर से चालू है, साथ ही समस्त तैयारियाँ भी प्रगति पर हैं।

आज दिनांक 22.04.2024 को लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के तृतीय चरण के लिए नाम वापसी की तिथि नियत थी। इसमें पाँच (05) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र (झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, अररिया एवं खगड़िया) शामिल हैं। प्राप्त सूचनानुसार उक्त पाँच (05) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों से किसी अभ्यर्थी ने नाम वापस नहीं लिया है। अतएव वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि झंझारपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से कुल दस (10) अभ्यर्थी, सुपौल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से कुल पन्द्रह (15) अभ्यर्थी, अररिया लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से नौ (09) अभ्यर्थी, मधेपुरा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से आठ (08) अभ्यर्थी और खगड़िया लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से बारह (12) अभ्यर्थी चुनाव में हैं।

ज्ञातव्य है कि लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के चौथे चरण में पाँच (05) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों (दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर–अ0जा0, बेगूसराय एवं मुंगेर) के लिए आज दिनांक 22.04.2024 को नामांकन का चौथा दिन था। उक्त पाँच (05) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में नामनिर्देशन की स्थिति निम्नवत् है:–

लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम	क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	दल सम्बद्धता
दरभंगा	01	सरोज कुमार चौधरी	मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा
उजियारपुर	01	चन्देश्वर राय	निर्दलीय
	02	मनोज कुमार	जनता राज विकास पार्टी
समस्तीपुर–अ0जा0		शून्य	शून्य
बेगूसराय	01	उमेश पटेल	शोषित समाज दल (Disputed)
मुंगेर	01	नीतिश कुमार	निर्दलीय

प्राप्त सूचनानुसार लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता के तहत राज्य में वाहन दुरूपयोग के संदर्भ में औरंगाबाद जिलांतर्गत एक (01) केस प्रतिवेदित है। लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के मामले में भागलपुर जिलांतर्गत एक (01) केस राज्य में प्रतिवेदित है तथा तदनुसार एक (01) एफआईआर दर्ज है। अवैध बैठक/भाषण आदि के संदर्भ में आठ (08) मामले प्रतिवेदित हैं जो क्रमेण इस प्रकार हैं–औरंगाबाद जिलांतर्गत एक (01), पूर्वी चम्पारण जिलांतर्गत पाँच (05) एवं सहरसा जिलांतर्गत दो (02)। इस संदर्भ में सात (07) एफआईआर दर्ज हैं। निर्वाचक को लाभ पहुँचने के संदर्भ में बक्सर जिलांतर्गत दो (02) मामले प्रतिवेदित हैं तथा तदनुसार एक (01) एफआईआर दर्ज है।

दिनांक 21.04.2024 को कुल **₹53.28005**(लाख) रूपये नगद बरामद किये गये हैं। कुल जब्त लीकर–11888.37(लीटर) की सूचना प्राप्त हुई है जिसका मूल्य **₹21.38099**(लाख) रूपये हैं। जहाँ तक ड्रग्स तथा नारकोटिक्स की बात है तो कुल **₹7.14750**(लाख) रूपये मूल्य के 14110.00(ग्राम) की मात्रा जब्त की गई है। वहीं कीमती धातुओं की बात है तो **₹0.02000**(लाख) रूपये मूल्य के 40.00(ग्राम) की मात्रा जब्त की गई है। मुफ्त/अन्य सामग्रियों के तहत कुल **₹502.96957**(लाख) रूपये मूल्य की 31289.00 सामग्रियों को जब्त किया गया है। इस प्रकार कुल **₹584.79811**(लाख) रूपये मूल्य की कुल जब्ती प्रतिवेदित है।